



HAMIRPUR POLICE



थाना मौदहा

दिनांक 01.06.2022

प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 04/06/2001 को थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 85/2001 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त नसीम उर्फ नसीमुद्दीन पुत्र करीम नि0 हुसैनिया थाना राठ व छिद्वन पुत्र रमजा नि0 कम्हरिया थाना मौदहा को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड/ की सजा सुनाई गयी।